

प्रपत्र -2.1

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद—देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा—रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है। वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.8890 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.8890 है। आरक्षित वन भूमि रिखोली कक्षा सं-7
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिणामना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं।	ग्रामीण मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में कोई वृक्ष प्रभावित / वाधक होना निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र - 26 के पृष्ठ सं 0 29 से 30 पर वरिष्ठ भू—वैज्ञानिक(से0नि) लो0नि0वि0, देहरादून की दि 0 18-12-2015 की आख्या चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित / चयनित स्थल आरक्षित वन रिखोली कक्ष सं-7 एवं ग्राम रिखोली की नाप भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र-18 के पृष्ठ सं 0 26 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	— नहीं —
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र - 30 के पृष्ठ सं 0 35 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद—वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र - 9 के पृष्ठ सं 0 19 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	— नहीं —
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है। से कम है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र - 35 के पृष्ठ सं 0 39 पर चस्पा है।

*ग्रामीण वनविकास
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी*

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावक्कलन प्रस्ताव के प्रपत्र-38 के पृष्ठ सं० 41-44 पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 438546.00 (रु० चार लाख अड़ीस हजार पॉच सौ छियालीस मात्र) का प्रावक्कलन प्रपत्र-38 के पृष्ठ सं० 41-44 पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित योजना के निर्माण में प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 438546.00 (रु० चार लाख अड़ीस हजार पॉच सौ छियालीस मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रस्तावित ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित ग्रामीण मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र-4 के पृष्ठ सं० 13 पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि० 28-4-2016 को किया गया है, जो प्रस्ताव के प्रपत्र-5 के पृष्ठ सं० 14 पर चस्पा है।
12.	विभाग /जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 105 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 229.4023 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 165.026 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-(ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 340.9554 हैक्टेयर / 543.8926 है० (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 258.98 है० / 447.88 है० जिला /प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: १९.५.२०१६ ।

स्थान:- मसूरी,

नाम:- (डा० धीरेज पाण्डेय)
सरकारी मुहराधिकारी
क्षृपुरी वन प्रभाग, मसूरी

हस्ताक्षर